पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)
Office of the Superintendent of Police, West Champaran, Bettiah.
(मानवाधिकार शाखा)

पत्रांक...98.../मानवाधिकार, दिनांक–12/02/2026

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

प्राप्त आवेदन सं०-259/दिनांक 20/02/26
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
6/साउथ, बैली रोड,
पटना–800001।

प्रसंग– भवदीय का संचिका संख्या बि0 रा0अ0आ0/परिवाद–2–02/2025–1774, दिनांक–03.12.2025।

विषय– आवेदक मो0 सलाहउद्दिन अंसारी के अपहृत पुत्र मो0 फैजान की बरामदगी के संबंध में।

****

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि आवेदक मो0 सलाहउद्दिन अंसारी, पिता–शमशुद्दीन मियां, ग्राम–मंगरहरी बैरिया, थाना–शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण बेतिया का प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जिसकी जॉच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज, बेतिया से करायी गई। जॉचोपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज, बेतिया द्वारा अपने कार्यालय का पत्रांक–408/अनु0, दिनांक–02.02.2026 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक–24.06.2025 को शाम 07:00 बजे मंगरहरी बैरिया से ही आवेदक का 07 वर्षीय पुत्र फैजान आलम लापाता हो गया। इस संबंध में आवेदक के आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्व शिकारपुर थाना कांड सं0–647/25 कर आवेदक के पुत्र को बरामद करने का पुलिस द्वारा काफी प्रयास किया गया। आवेदक के पुत्र की बरामदगी हेतु भवदीय आसूचना/तकनिकी अनुसार/स्नीफर डॉग/SDRT आदि का मदद लिया गया लेकिन आवेदक के पुत्र की बरामदगी नही हो सका । पुलिस क्षरा आवेदक के पुत्र की बरामदगी हेतु आवेदक के गॉव एवं अगल–बगल सामूहिक रूप से खोज अभियान भी चलाया गया। अनुसंधान के क्रम में आवेदक के आवेदन में उल्लेखित 1.संजय कुमार शर्मा 2.अजय चौधरी एवं 03.सीमा खातुन को गिरफ्तार कर अनुसंधानकर्ता एवं थानाध्यक्ष द्वारा पूछताछ किया गया लेकिन आवेदक के पुत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाया। तीनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया गया है। आवेदक के पुत्र की बरामदगी हेतु अपहरण के कांण्डो में अपहृत के बरामदगी हेतु निर्गत SOP अनुपालन किया जा रहा है। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन साथ संलग्न कर भवदीय के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

पुलिस अधीक्षक,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक–...408...../अनु0
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय,
नरकटियागंज, बेतिया।

प्रेषकः–

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
नरकटियागंज, बेतिया।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
प0 चम्पारण, बेतिया।

दिनांक–02.2.26

प्रसंगः– भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक–55/मानवाधिकार, दिनांक–19.01.26

विषयः– आवेदक मो0 सलाहुद्दीन पिता स्व0 समसुद्दन मियॉ सा0 मंगरहरी बैरिया थाना शिकारपुर जिला प0 चम्पारण, बेतिया के आवेदन का जॉच प्रतिवेदन के संबंध में।

—000—

महाशय,

प्रासंगिक विषयक के संदर्भ में सादर सुचित करना है कि आवेदक का आवेदन जॉच प्रतिवेदन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आवेदक का आवेदन शिकारपुर थाना कांड सं0–647/25 दिनांक–25.06.25 धारा–137(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित है। आवेदक अपने आवेदन में अपने पुत्र मो0 फैजान आलम की बरामदगी कराने का अनुरोध किये है।

आवेदक के आवेदन का जॉच कांड अभिलेख एवं आवेदक से पूछताछ कर किया। जॉच के कम में यह बात प्रकाश में आया है कि दिनांक–24.06.25 को शाम 07:00 बजे मंगरहरी बैरिया से ही आवेदक का 07 वर्षीय पुत्र फैजान आलम लापता हो गया। इस संबंध में आवेदक के आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध शिकारपुर थाना कांड सं0–647/25 कर आवेदक के पुत्र को बरामद करने का पुलिस द्वारा काफी प्रयास किया गया। आवेदक के पुत्र की बरामदगी हेतु भवदीय आसूचना /तकनीकी अनुसार/स्नीफर डॉग/SDRT. आदि का भी मदद लिया गया लेकिन आवेदक के पुत्र की बरामदगी नही हो सका। पुलिस द्वारा आवेदक के पुत्र की बरामदगी हेतु आवेदक के गॉव एवं अगल–बगल सामूहिक रूप से खोज अभियान भी चलाया गया। अनुसंधान के कम में आवेदक के आवेदन में उल्लेखित 1. संजय कुमार वर्मा 2. अजय चौधरी एवं 3. सीमा खातुन को गिरफ्तार कर अनुसंधानकर्ता एवं थानाध्यक्ष द्वारा पूछताछ किया गया लेकिन आवेदक के पुत्र के संबंध मे कोई ठोस साक्ष्य नही मिल पाया। तीनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया गया हैं। आवेदक के पुत्र की बरामदगी हेतु अपहरण के कांडो में अपहृत के बरामदगी हेतु निर्गत SOP का अनुपालन किया जा रहा हैं।

श्रीमान् को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2026

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
नरकटियागंज, बेतिया।

Scanned with OKEN Scanner